रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L.-(N)04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, अगस्त 21—अगस्त 27, 2011, शनिवार/श्रावण 30—भाद्र 5, 1933
No. 35] NEW DELHI, AUGUST 21—AUGUST 27, 2011, SATURDAY/SRAVANA 30—BHADRA 5, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 238.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक अध्ययन) भर्ती नियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक अध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक अध्ययन) भर्ती नियम, 2011 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

	(11)
	exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.] **Note 1 :** For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **Note 2 :** Only officers of Central/State Governments/Union Territories are eligible for being considered for absorption.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post.

[F. No. A-12011/4/2009-P. I]

M. L. WADHWANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 242.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय, विभागीय कैंटीन समूह "ग" और समूह "घ" पद, भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय की विभागीय कैंटीन में समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, विभागीय कैंटीन समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी	01* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. धन 2400 रु. ग्रेड वेतन	अचयन	21 से 28 वर्ष । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है । आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ बुक कीपिंग/स्टोर कीपिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा (ख) किसी सरकारी विभाग या लोक उपक्रम में भंडार/लेखा के रखरखाव का तीन वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष, प्रोन्नत के लिए शून्य ।

(7)	
टिप्पण 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** (i) लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड 1 में 5200-20200 ₹ धन 1900 ₹ ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है; या (ii) हलवाई-सह-रसोइया जिसने वेतन बैंड 1 में 5200-20200 ₹ धन 2000 ₹ ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है और जिसके पास भंडार/लेखा के रखरखाव का दो का अनुभव है तथा जो लिपिक के लिए विहित अर्हता अर्थात् वाणिज्य के साथ इंटरमिडिएट रखता है । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 1 में 5200-20200 ₹ धन 1900 ₹ ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर आठ वर्ष सेवा की है; या (iii) जो स्तंभ (8) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता रखते हैं :— (ख) जिसके पास भंडार/लेखा के रखरखाव का तीन वर्ष का अनुभव है । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– (i) अवर सचिव (प्रशासन), भारत सरकार —अध्यक्ष (ii) किसी और मंत्रालय से अवर सचिव (प्रशासन), भारत सरकार —सदस्य (iii) अनुभाग अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. हलवाई-सह-रसोइया	02* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. धन 2000 रु. ग्रेड वेतन	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य

(10)	(11)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	**प्रोन्नति :** सहायक हलवाई-सह-रसोइया जिन्होंने वेतन बैंड 1 में 5200-20200 ₹ धन 1900 ₹ ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की है; **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) सहायक हलवाई-सह-रसोइया जिन्होंने वेतन बैंड 1 में 5200-20200 ₹ धन 1900 ₹ ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की है; (ख) जो निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हैं : दसवीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ केटरिंग में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र आदि; (ii) अनुभव : सरकारी विभाग/उपक्रम में दो वर्ष का अनुभव और निर्दिष्ट अर्हता **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– (i) अवर सचिव (प्रशासन), भारत सरकार —अध्यक्ष (ii) किसी और मंत्रालय से अवर सचिव (प्रशासन), भारत सरकार —सदस्य (iii) अनुभाग अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक हलवाई-सह-रसोइया	02* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. धन 1900 रु. ग्रेड वेतन	अचयन	18—25 वर्ष । केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए शिथिल की जा सकती है । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(7)	(8)	(9)
(क) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ केटरिंग में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र आदि; (ख) अनुभव - एक वर्ष (ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए व्यवसाय के कौशल का परीक्षण जिसमें स्वच्छता बनाए रखना भी है विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित किया जाएगा । **टिप्पण :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** कैंटीन सहायक जिन्होंने वेतन बैंड 1 में 5200—20200 ₹ धन 1800 ₹ ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की है;

(11)
अभ्यर्थी की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए व्यवसाय के कौशल का परीक्षण जिसमें स्वच्छता बनाए रखना भी है विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित किया जाएगा । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :— (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) कैंटीन सहायक जिन्होंने वेतन बैंड 1 में 5200—20200 ₹ धन 1800 ₹ ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की है; जिसमें से एक वर्ष का अनुभव हलवाई-सह-रसोइया के सहायक के रूप में है; (ख) जो केटरिंग में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र आदि रखते हैं : **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने पात्र नहीं होंगे ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (i) अवर सचिव (प्रशासन), भारत सरकार —अध्यक्ष (ii) किसी और मंत्रालय से अवर सचिव (प्रशासन), भारत सरकार —सदस्य (iii) अनुभाग अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. लिपिक	03* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. धन 1900 रु. ग्रेड वेतन	अचयन	18—25 वर्ष । केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित तारीख होगी । यदि सीधी भर्ती कर्मचारी चयन

(6)
आयोग द्वारा की जा रही है तो निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा :— **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

(7)	(8)	(9)
(क) वाणिज्य के साथ बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण (ख) कंप्यूटर पर अंग्रेजी भाषा में 35 शब्द प्रति मिनट या या हिन्दी भाषा में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति जो कि प्रति शब्द 5 औसतन कुंजी दाब के साथ 10500 कुंजी दाब प्रति घंटा/9000 कुंजी दाब प्रति घंटा की तत्स्थानी है । **टिप्पण 1 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	आयु : नहीं बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

(10)	(11)
66.67% प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर 33% सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** कैंटीन सहायक जिन्होंने वेतन बैंड 1 में 5200—20200 ₹ धन 1800 ₹ ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की है और जो कम से कम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता रखते हैं । कैंटीन सहायक से लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए संगठन व्यवहार, संचार कौशल और लेखांकन पद्धतियों में आईएसटीएम या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से दो सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

	(11)
	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) कैंटीन सहायक जिन्होंने वेतन बैंड-1 में 5200-20200 ₹ धन 1800 ₹ ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की है; और (ख) जो स्तम्भ (8) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता रखते हैं :— **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने पात्र नहीं होंगे ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– (i) अवर सचिव (प्रशासन), भारत सरकार —अध्यक्ष (ii) किसी और मंत्रालय से अवर सचिव (प्रशासन), भारत सरकार —सदस्य (iii) अनुभाग अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. कैंटीन सहायक	11* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. धन 1800 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	18—25 वर्ष । केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

3124 GI/11—4

(7)	(8)	(9)
दसवीं कक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) अवर सचिव (प्रशासन), भारत सरकार —अध्यक्ष (ii) किसी और मंत्रालय से अवर सचिव (प्रशासन), भारत सरकार —सदस्य (iii) अनुभाग अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12011/1/2011-प्रशा. I]
एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

New Delhi, the 25th August, 2011

G.S.R. 242.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Environment and Forests, Departmental Canteen Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Departmental Canteen of the Ministry of Environment and Forests, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Departmental Canteen Group 'C' posts Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of the posts, Classification and Scale of Pay.—The number of said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed thereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Manager-cum-Store Keeper	01* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Non-selection	21—28 years, age limit relaxable for the Sheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. "The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)"

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(a) B.Com from a recognised University. or Graduate in any discipline from a recognised University with one year Diploma in Book Keeping/Store Keeping. (b) **Experience :** Three years in a Government Department/Undertaking in handling Stores/ Accounts. **Note 1 :** Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidate otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that	Not applicable	Two years for direct recruits, Nil for promotees.

(7)	
sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	**Promotion :** (i) Clerk with atleast eight (8) years' regular service in the Pay Band-1; Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1900. (ii) Halwai-cum-Cook with five (5) years' regular service in the Pay Band-1; Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 2000 with two years experience in handling Stores/Accounts and possessing educational qualification as prescribed for direct recruited Clerk i.e. Intermediate with Commerce. **Deputation :** Officers of the Central Government :— (a) (i) Holding analogous post on regular basis; or (ii) With atleast eight (8) years' regular service in the Pay Band-1 of Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1900. (iii) Possessing educational qualifications as prescribed for Direct Recruit under column (8) and (b) Three (3) years experience in handling Stores/Accounts. **Note 1 :** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2 :** The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :— (i) Under Secretary (Administration) to the Government of India —Chairman (ii) Under Secretary (Administration) to the Government of India from some other Ministry —Member (iii) Section Officer —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Halwai-cum-Cook	02* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C' 'Non-Gazetted', Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 2000	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Nil

(10)	(11)
Promotion failing which by deputation	**Promotion :** Assistant Halwai-cum-Cook with atleast three (3) years' regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1900. **Deputation :** Officers of the Central Government : (a) (i) Holding analogous post on regular basis; or (ii) Assistant Halwai-cum-Cook with atleast three (3) years' regular service in the Pay Band-1 of Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1900, and (b) Possessing the following qualifications and experience :— (i) 10th class pass with a certificate/diploma in catering etc. (ii) **Experience**—Two years in a Govt. Department/Undertaking is preferred and possessing the qualification. **Note 1 :** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2 :** The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :— (i) Under Secretary (Administration) —Chairman (ii) Under Secretary from other Ministry —Member (iii) Section Officer —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Halwai-cum-Cook	2* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C' 'Non-Gazetted', Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1900	Non-selection	18—25 years, age limit relaxable for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.

(7)	(8)	(9)
(a) 10th class pass with a certificate/diploma in catering, etc. (b) Experience : One Year (c) A Trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene etc. shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	Two years for direct recruits

(10)	(11)
Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	**Promotion :** Canteen Attendant with atleast three (3) years' regular service in the Pay Band-1; Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1800. A Trade test shall be got conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the cooking including maintenance of hygiene etc. **Deputation :** Officers of the Central Government : (a) (i) Holding analogous post on regular basis; or (ii) Canteen Attendant in the Pay Band-1 of Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1800 with atleast three (3) years' regular service having one year experience as Helper to Halwai-cum-Cook. (b) Possessing Certificate/Diploma in Catering.

(11)
Note 1 : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on the closing date of the receipt of applications.   **Note 2 :** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :— (i) Under Secretary (Administration) to the Government of India —Chairman (ii) Under Secretary from other Ministry —Member (iii) Section Officer —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Clerk	3* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1900	Non-selection	18—25 years, age limit relaxable for the Sheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission (SSC). In case the direct recruitment is done through SSC, the following note may be inserted :— "The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)"

(7)	(8)	(9)
(a) 12th Class pass or equivalent with Commerce. (b) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depression Per Hour/9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 Key Depressions for each word). **Note 1 :** Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Competent Autority in the case of candidate otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age : No Educational Qualification : 12th Class Pass or equivalent	Two years for direct recruits.

(10)	(11)
66.67% by promotion failing which by deputation 33.33% by direct recruitment.	**Promotion :** Canteen Attendant with atleast three (3) years' regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1800 and possessing minimum educational qualification of matriculation or equivalent. A two week training on Organizational Behaviour, Communication Skill and Accounting Practices shall be mandatory for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk from ISTM or any other recognized Institutes. **Deputation :** Officers of the Central Government : (a) (i) Holding analogous post on regular basis; or (ii) Canteen Attendant with atleast three (3) years' regular service in the Pay Band-1 of Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1800, and (b) Possessing the qualifications prescribed for Direct Recruits under Column 8. **Note 1 :** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 2 :** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :— (i) Under Secretary (Administration) to the Government of India —Chairman (ii) Under Secretary from other Ministry —Member (iii) Section Officer —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Canteen Attendant	11* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1800	Not applicable	18—25 years, age limit relaxable for the Sheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.

(7)	(8)	(9)
Matriculation or equivalent	Not applicable	Two years for direct recruits

(10)	(11)
Direct Recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :— (i) Under Secretary (Administration) to the Government of India —Chairman (ii) Under Secretary (Administration) to the Government of India from some other Ministry —Member (iii) Section Officer —Member	Not applicable.

[F. No. A-12011/1/2011-P. I]

M. L. WADHWANI, Under Secy.